राजस्थान सरकार
देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक: प.15(5)राज/3/85 **जयपुर, दिनांक 11.11.1991**

आदेश

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियमित मंदिरों को संबंधित एवं पंजीकृत निजी संस्थाओं को सुपुर्दगी पर दिए जाने से संबंधित मामलों में समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रसारित करती है:-

1. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार/आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों को निम्न परिस्थितियों में सुपुर्दगी पर दिया जा सकता है।

    1. ऐसे मंदिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दराज पर स्थित हों और जिन पर विभाग का प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं रहता है।

    2. ऐसे मंदिर जिनकी अवस्था जीण-शीर्ण हो चुकी है और जिनके रख-रखाव पर भारी व्यय की संभावना है।

    3. ऐसे मंदिर जिन्हें सुपुर्दगी में लेने हेतु उनके संप्रदाय विशेष श्रद्धालुओं की मांग हो और मंदिर के प्रबन्ध एवं व्यवस्था में सुधार लाने हेतु तत्पर हों।

2. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों को सुपुर्दगी पर निम्न शर्तों पर दिया जा सकता हैं।

    1. कोई भी मंदिर केवल उसी सम्प्रदाय विशेष की प्रन्यास/समिति को सुपुर्द किया जावेगा , जिस संप्रदाय विशेष का वह मंदिर है। सुपुर्दगी हेतु उक्त प्रन्यास/समिति का राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम अथवा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के अन्तर्गत बनाए गए नियम राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

    2. जब तक मंदिर सुपुर्दगी पर रहे उसके प्रबन्ध एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रबन्ध समिति की होगी और उसके लिए वित्तीय भार भी पूर्णतः समिति को ही वहन करना होगा।

    3. मंदिर के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन जिससे मंदिर का स्वरूप बदलता हो , देवस्थान विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

    4. मंदिर की संपदा का स्वामित्व देवस्थान विभाग में निहित रहेगा और सुपुर्दगार द्वारा संपदा को किसी भी रूप में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

    5. मंदिर के अधीन मंदिर परिसर के बाहर यदि कोई अन्य भूमि एवं भवन होगा , तो वह सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावेगा, बल्कि उसका प्रबन्ध नियंत्रण तथा निस्तारण देवस्थान विभाग स्वयं करेगा और उसकी

होने वाली आय का उपयोग देवस्थान ही करेगा । परिसर के बाहर स्थित संपदा के विक्रय आदि का अधिकार भी देवस्थान विभाग को होगा।

6. मंदिर के आभूषण भी हस्तान्तरित नहीं किए जावेंगे। यदि रोजमर्रा के काम में आने वाले आभूषणों को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक होगा , तो ऐसे आभूषणों की कीमत जो कि देवस्थान विभाग द्वारा तय की जावेगी, के बराबर की जमानत देवस्थान विभाग को भुगतान करने पर ही ऐसे आभूषण सुपुर्दगी पर दिए जा सकेंगे।

7. मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से एवं उचित व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से देवस्थान विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर मंदिर से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा एवं किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर सुपुर्दगी निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

8. मंदिरों की आय/व्यय का लेखा-जोखा रखा जावेगा।

9. प्रारम्भ में मंदिर सुपुर्दगी पर पांच वर्षों की अवधि के लिए ही दिया जावेगा । इस काल में सुपुर्दगार का आचार-विचार, व्यवहार को ध्यान में रख जनहित में वांछनीय होने पर सेवाकाल बढानें पर विचार किया जावेगा । मंदिर में कुप्रबन्धन एवं कुव्यवस्था पाई जाने पर या अन्य बेहतर प्रबन्ध का विकल्प उपलब्ध होने पर सुपुर्दगी की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्य सरकार को सुपुर्दगी से वापस लेने का अधिकार होगा।

10. जिन मंदिरों की अवस्था जीर्ण-शीर्ण हो गई है उन्हें सुपुर्दगार द्वारा एक नियत अवधि में मंदिर की टूट-फूट की मरम्मत आदि करवानी होगी।

11. मंदिर संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उसका निपटारा देवस्थान विभाग द्वारा किया जावेगा।

12. मंदिरों में दर्शनों के लिए समस्त धर्मावलंबियों को आने दिया जावेगा।

13. मंदिर की पवित्रता, सफाई एवं परम्परा का सुपुर्दगार को पूर्ण ध्यान में रखना होगा।

14. सुपुर्दगार को देवस्थान विभाग के साथ निर्धारित किए जाने वाले परिपत्र में अनुबन्ध करना होगा।

उक्त परिस्थितियों एवं शर्तों के अनुसार पूर्णरूपेण कार्यवाही उपरान्त आयुक्त , देवस्थान की अनुशंषा प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा वांछित स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

आज्ञा से,

विशिष्ट शासन सचिव